(b) The question of translating these forms into Hindi is under consideration.]

(b) The remaining forms are likely to be sent within about 6 weeks except a few which are under revision.]

विभागीय फार्मों का हिन्दी में अनुवाद

७४. श्री एल० ललित माधव शर्मा : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ११ अगस्त, १९६० को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या ८७ के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में काम में आने वाले सभी फार्म हिन्दी अनुवाद के लिये शिक्षा मंत्रालय को भेज दिये गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इन्हें कब तक भेजने का इरादा है ?

†[TRANSLATION OF DEPARTMENTAL FORMS INTO HINDI

74. SHRI L. LALIT MADHOB SHARMA: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 87 in the Rajya Sabha on the 11th August, 1960, and state:

(a) whether all the forms which are used in the Ministry of Commerce and Industry have been sent to the Ministry of Education for translation into Hindi; and

(b) if not, by when these are proposed to be sent]

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) अब तक अधिकतर फार्म भेजे जा चुके हैं ।

(ख) बाकी फार्म, कुछ के सिवाय जिन में कि संशोधन हो रहा है, ६ सप्ताह के भीतर भेजे जाने की संभावना है ।

†[THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MANUBHAI SHAH): (a) By far the large majority of the forms have been sent.

विभागीय फार्मों का हिन्दी में अनुवाद

७५. श्री एल० ललित माधव शर्मा : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय से संलग्न और उसके अधीनस्थ ऐसे कौन कौन से कार्यालय हैं जिनका कोई भी फार्म हिन्दी अनुवाद के लिए अभी तक केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय अथवा विधि मंत्रालय के पास नहीं भेजा गया है ?

†[TRANSLATION OF DEPARTMENTAL FORMS INTO HINDI

75. SHRI L. LALIT MADHOB SHARMA: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state the names of the attached and subordinate offices of his Ministry pertaining to which no form has been sent so far for translation into Hindi, either to the Central Hindi Directorate, or to the Ministry of Law?]

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : जिन कार्यालयों के फार्म शिक्षा तथा विधि मंत्रालय को भेजे जाने हैं उनमें से (१) वाणिज्यिक सूचना तथा सांख्यकी विभाग, कलकत्ता तथा (२) केन्द्रीय रेशम के कीड़े पालने का गवेषणा केन्द्र, बरहामपूर का अभी तक कोई भी फार्म नहीं भेजा गया है ।

†[THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MANUBHAI SHAH): Of the offices in respect of which forms are to be sent to the Ministries of Education and Law, no form has so far been sent in respect of (i) Department of Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta and (ii) Central Sericultural Research Station, Berhampore.]

†[ ] English translation.